उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

upsidc

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
ए-1/4,लखनपुर, कानपुर।
पोस्ट बाक्स नं0—1050
कानपुर : 208024
दूरभाष : 0512—2582851—53(PBX)
ईमेल : md@upsidc.com
वेबसाइट : www.upsidc.com
CIN : U26960UP1961SGC002834

संदर्भ संख्या 3817-3819 एसआईडीसी/आई.ए. पॉलिसी वाल्यूम-16 (मेन्टीनेन्स चार्ज) दिनांक: 08.3.2018

कार्यालय आदेश

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.01.2018 को सम्पन्न 298 वीं बैठक में निगम के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अनुरक्षण शुल्क की दरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं के संचालन, उच्चीकरण तथा अनुरक्षण कार्यों हेतु स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र हेतु एक SPV के गठन के सम्बन्ध में प्रस्तावित नीति का निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया गया है:—

1. अन्तरिम व्यवस्था के रूप में सभी औ0क्षे0 हेतु दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 30.06.2018 तक की अवधि हेतु अनुरक्षण शुल्क पूर्व की भांति निम्नवत दरों पर लिया जायेगा।

क्रम सं0	औ0क्षे0 की श्रेणी	वर्तमान दर
1	धीमी गति	रू0 2/—प्रति वर्गमी0
2	तीव्र एवं अति तीव्र गति	रू0 8/—प्रति वर्गमी0

2. अवस्थापना सुविधाओं के संचालन, उच्चीकरण तथा अनुरक्षण कार्यों हेतु स्वशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय निकायों तथा उद्यमी संगठनों को सम्मिलित करते हुये प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र हेतु एक SPV का गठन किया जाए। यह SPV सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र की अवस्थापना सुविधाओं के संचालन, उच्चीकरण तथा अनुरक्षण कार्यों हेतु नोडल ऐजेंसी नामित होगी तथा यह SPV प्रचलित कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत होगी। यूपीएसआईडीसी एवं SPV के मध्य एक MOU हस्ताक्षरित किया जायेगा जिसमें यह प्राविधान होगा कि यूपीएसआईडीसी द्वारा औ0क्षे0 से एकत्रित किये गये अनुरक्षण शुल्क को SPV को हस्तान्तरित किया जा सकेगा जिसे SPV अवस्थापना सुविधाओं के संचालन,

Scanned with CamScanner

उच्चीकरण तथा अनुरक्षण कार्यों में व्यय करेगी। SPV को यह भी अधिकार होगा कि वह गुणवत्ता पूर्ण अनुरक्षण कार्य सुनिश्चित करने हेतु समय–समय पर यथा आवश्यक अनुरक्षण शुल्क को पुनरीक्षित कर सके या सुविधाओं के उच्चीकरण हेतु अतिरिक्त अनुरक्षण शुल्क अधिभारित कर सकें।

3. स्थानीय निकायों को सौंपें गये 34 औद्योगिक क्षेत्रों के समुचित रख–रखाव हेतु यूपीएसआईडीसी लि0 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास विभाग को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाएगा कि वह भी इन 34 औद्योगिक क्षेत्रों में अनुरक्षण कार्य हेतु उपरोक्तनुसार SPV के गठन तथा स्थानीय निकायों द्वारा एकत्रित किये गये कर/अनुरक्षण शुल्क की धनराशि को SPV को हस्तान्तरित करने हेतु नीति निर्धारित करायें।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

संदर्भ संख्या 3817-19 एसआईडीसी / आई ए- पॉलिसी वाल्यूम-16 (मेन्टीनेन्स चार्ज), दिनांक: 08-3-2018

प्रतिलिप निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव/समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय, उ0प्र0रा0औ0वि0नि0लि0 कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. समस्त अधिकारी/कर्मचारी औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, उ0प्र0रा0औ0वि0लि0, मुख्यालय, कानपुर।

(रणवीर प्रसाद)
प्रबन्ध निदेशक

Scanned with CamScanner